# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ,जैसलमेर
## पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी आर.ए. एस

प्रकरण अपील संख्या 02/2017

अपीलाण्ट
हमीद खां पुत्र हैदर खां जाति मुसलमान
निवासी केशुओं की बस्ती,
तहसील व जिला जैसलमेर

बनाम

रेस्पोण्डेण्ट
राज सरकार जरिए
तहसीलदार, जैसलमेर

उपस्थित :–1– श्री मोहम्मदअली वकील अपीलाण्ट
2– पैरोकार राज

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधि0 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सम तहसील, जैसलमेर मु0न0 1353/2016 निर्णय दिनांक 20.10.2016

दिनांकः– 30-11-2017

–:: आदेश ::–

अपीलाण्ट हमीद खां पुत्र हैदर खां जाति मुसलमान निवासी केशुओं की बस्ती, तहसील व जिला जैसलमेर की ओर से रेस्पोण्डेण्ट राज सरकार जरिए तहसीलदार जैसलमेर के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0रा0अधि 1956 के तहत् नायब तहसीलदार सम तहसील जैसलमेर के मु0न0 1353/2016 निर्णय दिनांक 20.10.16 को अपास्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। राजकीय सिवाय चक भूमि पर किए गये अतिक्रमण करनें के मामलें में पारित आदेश दिनांक 20.10.2016 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का कनोई ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अप्रार्थी (अपीलांट) ने संवत 2073 में ग्राम केसुओं की बस्ती में रकबा 0–02 बीघा में मकान का नाजायज निर्माण करवाया है जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी किया। अप्रार्थी को अतिक्रमी होना मानते हुए अप्रार्थी (अपीलांट) को दिनांक 20.10.2016 को अतिक्रमी घोषित कर वार्षिक लगान 0–05 का 50 गुणा से राशि रूपये 5000/– (पांच हजार) जुर्माना आरोपित किया एवं अप्रार्थी को भौतिक रूप से अतिक्रमी भूमि से बेदखल किया जाकर पटवारी हल्का को भूमि का कब्जा राज हक लेने हेतु आदेशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.2016 के निम्न वजूहात के यह अपील पेश है।

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय नें अपीलाण्ट के विरूद्ध दिनांक 20.10.2016 को निर्णय पारित करनें में कानूनी एवं तथ्य सम्बन्धी बडी भारी भूल की है ।

2–यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 124 में 0–02 बीघा (2 बिस्वा) में अवैध मकान निर्माण करने में अतिक्रमी मानने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बडी भारी भूल की हैं अपीलांट का उपरोक्त खसरा नम्बर 124 पर रहवास कदीमी है तथा उक्त खसरा में ही कदीमी काश्त करता आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर जवाब व साक्ष्य लिए एक तरफा आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बड़ी भारी भूल की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) जैसलमेर

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय नें उक्त प्रकरण में साक्ष्य सबूत नहीं लिये जाकर एक तरफा निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बडी भारी भूल की हैं और न ही पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर ही दिया गया। जबकि विवादग्रस्त स्थल का वाद श्रीमान सहायक कलक्टर जैसलमेर की न्यायालय में विचाराधीन है, सहायक कलक्टर जैसलमेर की न्यायालय में

विचाराधीन वाद में राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जैसलमेर पक्षकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध लगान 0–05 पैसे के 50 गुणा राशि अधिरोपित की है तद्नुसार नायब तहसीलदार सम द्वारा 5000/– (पांच हजार) जुर्माना आरोपित किया हैं अधीनस्थ न्यायालय ने जुर्माना का आंकलन गलत आधारों पर किया गया हैं। जो अपास्त योग्य है।

4– यह कि अधीनस्थ न्यायालय नें अपीलांट को रिहायशी मकान से बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बडी भारी भूल की है।

5– यह कि राज्य सरकार द्वारा खेतों में बनी कदीमी बने रहवास को नियमित करने हेतु अवैध कब्जा के संबंध में समय–समय पर परिपत्रों के माध्यम से पुराने कब्जे जो खेतों में है वह नियमित किये जाने हेतु जारी होते रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने परिपत्रों पर गौर न कर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बडी भारी भूल की है।

6– यह है कि अपीलांट को उपरोक्त निर्णय होने की प्रथम बार जानकारी दिनांक 12.02.2017 को ही हुई थी उससे पूर्व की जानकारी नहीं थी और दिनांक 12.02.2017 को ही नकल हेतु कार्यवाही की जो उसे दिनांक 20.02.2017 को प्राप्त हुई। अपील देरीना पेश करने हेतु धारा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र साक्ष्य पेश है इसलिए अपील अन्दर मियाद पेश है।

इस प्रकार अपीलाण्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.10.2016 अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपीलाण्ट अपील दर्ज की जाकर रेस्पोण्डेण्ट पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

अपील के सबंध में पक्षकारान बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की एवं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया एवं इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के मुलभूत सिद्धांतों की पालना करते हुए जारी किया हुआ नही है साथ ही विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का कदीमी कब्जा रहवास है ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट चाही गयी राहत का हकदार है । नायब तहसीलदार ने जुर्माना राशि आंकलन करने में भारी भूल की है वर्तमान में इस भूमि के संबंध में मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखन के निर्देश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाए जवाब में पैराकार सरकार ने मौखिक बहस करते हुए अभिकथित किया कि अपीलाण्ट ने सरकारी भूमि पर बिना किसी स्वत्व के कब्जा किया है जिसके फलस्वरूप उसके विरूद्ध धारा 91 भू0रा0 अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करना विधिसंगत है। अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली व शास्ति का आदेश पारित किया गया है । अपीलाण्ट का यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया सत्यता से परे है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलाण्ट स्वयं तारीख पेशी के वक्त न्यायालय में उपस्थित था एवं इसके साक्ष्य स्वरूप पत्रावली में उसके हस्ताक्षर मोजूद है ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली व शास्ति की कार्यवाही उचित है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है अपीलांट को इसकी जानकारी 20.10.16 को हो चुकी थी अपीलांट का यह तर्क कि उसे निर्णय की प्रथम बार जानकारी 12.02.17 को हुई थी मानने योग्य नहीं है इसके समर्थन में कोई प्रमाण अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हालांकि अपीलांट को 12.02.17 को निर्णय की जानकारी मिलने का तथ्य पूर्णतया गलत है फिर भी इस बाबत अपीलांट द्वारा अभिकथित तथ्यों के अनुसार अपीलांट स्वंय स्वीकार करता है कि उसको 20.02.2017 को निर्णय की नकल मिल गई थी तो फिर उसने 06.03.2017 को अपील क्यों प्रस्तुत की? इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसंगत कार्यवाही की है अपीलाण्ट की अपील किसी प्रकार से पोषणीय नही है तदनुसार अपील अपीलाण्ट निरस्त की जाये।

उभय पक्ष की बहस पर गंभीर मनन व चिंतन किया गया व पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। जहां तक अपील को मियाद में शुमार करने का प्रश्न है अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मयशपथ पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकरण में अपीलांट ने इस बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि उसका विलम्ब सदभाविक था क्योकिं प्रथमतः अपीलांट निर्णय के वक्त न्यायालय में उपस्थित था ऐसी स्थिति में उसको अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हो चुकी थी अपीलांट ने जो कथन अंकित किये है उसके अनुसार अपीलांट स्वंय स्वीकार करता है कि उसको 20.02.2017 को निर्णय की नकल मिल गई थी तो फिर उसने 06.03.2017 को अपील प्रस्तुत क्यों की? इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र के तथ्यों के मध्येनजर अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सदभावी माना जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किया जाना उचित नहीं है। यदि प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन करे तो इससे भी स्पष्ट है कि सरकारी भूमि ख0न0 124 में रकबा 75–12 बीघा किस्म बंजड वाके ग्राम केसुओ की बस्ती में 0.02 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर अवैध मकान निर्माण करने के कारण पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 भू0रा0अधि0 के तहत यह प्रकरण दर्ज किया गया है। अपीलाण्ट का यह तर्क भी मानने योग्य नही है कि उसे साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलाण्ट स्वयं तारीख पेशी के वक्त न्यायालय में उपस्थित था एवं इसके साक्ष्य स्वरूप पत्रावली में उसके हस्ताक्षर मौजूद है ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली व शास्ति की कार्यवाही उचित है। अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को साबित करने हेतु कोई पुख्ता साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किए। अपीलाण्ट अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को साबित करने में असमर्थ रहा है। अपीलाण्ट ने स्पष्ट रूप से राजकीय भूमि पर बिना किसी स्वत्व (TITLE) के अतिचार किया है जिसके लिए वह कानूनी प्रावधानों के तहत शास्ति व बेदखली का दायी है। जहां तक अपीलांट का यह कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरण निगरानी हमीद खां बनाम सरकार 2790/2017 में अपीलांट के पक्ष में स्थगन जारी हैं इस संबंध में यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश देना उचित समझता है कि विवादित भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश अथवा अन्य कोई आदेश पारित किया हुआ है उसकी पालना सुनिश्चित की जायें।

ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नही है एवं उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील को मियाद में शुमार किया जाना भी उचित नहीं है इस प्रकार गुणावगुण व मियाद के बिन्दु पर अपील अपीलाण्ट अस्वीकार योग्य है तदनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2016 को यथावत रखा जाता है एवं अधीनस्थ तहसीलदार जैसलमेर एवं नायब तहसीलदार सम को निर्देशित किया जाता कि इस प्रकरण से संबंधित विवादित भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश अथवा अन्य कोई आदेश पारित किया हुआ है उसकी पालना सुनिश्चित की जायें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमीली कार्यवाही अभिलेखागार में जमा हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तत्काल लौटायी जाये।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं इसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से अधिप्रमाणित किया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर